

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:- 15/अ0प्र0-10-01/2024 135

पटना दिनांक 04/04/24

- ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत सभी कार्य प्रमंडल/गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल के संबंधित अधीक्षण अभियंता को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (19(1)) में निहित प्रावधान के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।
2. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
 3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(कुमार अनिल सिन्हा)


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-15/ अ0प्र0-10-01/2024

1771

पटना, दिनांक 04/04/24

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/प्रथम अपीलीय प्राधिकार/लोक सूचना पदाधिकारी/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक 04/04/24

ज्ञापांक:-15/ अ0प्र0-10-01/2024

1771

प्रतिलिपि:- राज्य सूचना आयोग, चौथा तल्ला, सूचना भवन, बेली रोड, बिहार, पटना-15 को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक 04/04/24

ज्ञापांक:-15/ अ0प्र0-10-01/2024

1771

प्रतिलिपि:- आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव
नीरू